Agri Express: **02** (03), *Article No*. V02I03.07, July-September, 2024 *E - ISSN No. 2584 - 2498*

पीएम किसान सम्मान निधि योजना

पूर्णिमा सिंह[1], रुद्र प्रताप सिंह[2] एवं पार्थ प्रतीक सिंह[3]

[1]कृषि परास्नातक (कृषि अर्थशास्त्र) व [3]अतिथि संकाय (कृषि प्रसार)

तिलकधारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जौनपुर (उ०प्र०)

[2]सह-प्राध्यापक (फसल सुरक्षा), कृषि विज्ञान केन्द्र, कोटवा, आजमगढ़ (उ०प्र०)

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जिसे पीएम किसान योजना (PM KISAN) के नाम से भी जाना जाता है, यह भारत सरकार की केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा शुरू की गई थी। पीएम- किसान योजना को पहली बार तेलंगाना सरकार द्वारा रायथु लघु योजना के रूप में लागू किया गया था, जहाँ एक निश्चित राशि सीधे पात्र किसानों को दी जाती थी। बाद में 1 फरवरी 2019 को अंतरिम केंद्रीय बजट के दौरान इस योजना को एक राष्ट्रव्यापी परियोजना के रूप में लागू करने की घोषणा की गयी। देश भर के किसान परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत सभी पात्र किसान परिवार (कृषक, उसकी पत्नी और अवयस्क बच्चे) को उसके बैंक खातों में तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6000 रुपये प्रदान किये जाते हैं। यह धनराशि 3 समान किश्तों में (प्रत्येक किस्त की अवधि चार माह) दी जाती हैंI प्रथम चौमास 01 अप्रैल से 31 जुलाई, द्वितीय चौमास 01 अगस्त 30 नवम्बर तक एवं तृतीय चौमास 01 दिसम्बर से 31 मार्च होता है। प्रधानमंत्री द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 5 अक्टूबर 2024 को 18 वीं किस्त जारी की गई जिसमें 9.40 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में कुल 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जा चुकी है।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के उद्देश्य

i. देश भर में सभी छोटे और सीमांत भूमि धारक किसान परिवारों को बुनियादी वित्तीय सहायता प्रदान करना। और सीमांत किसानों उचित फसल स्वास्थ्य और उचित पैदावार सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न कृषि निवेशों की खरीद व अन्य सम्बंधित गतिविधियों को पूरा करने के लिए वित्तीय कमी को दूर करना।

ii. किसानों को ऋण लेने हेतु साहूकारों के चंगुल से छुटकारा दिलाना और कृषि पद्धतियों में आधुनिकीकरण लाकर उत्पादन और आय में वृद्धि करना।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए पात्रता

सभी छोटे और सीमांत किसान परिवार जिनके पास खेती योग्य भूमि है (चाहे भूमि का आकार कुछ भी हो), इस योजना के लिये पात्र हैंI योजनान्तर्गत कृषित भूमि की सीमा समाप्त कर दी गयी है। कृषक परिवार का तात्पर्य कृषक, उसकी पत्नी व उसके अवयस्क बच्चों से है। इसके अंतर्गत पंजीकरण करने के लिए किसान को अपने आधार कार्ड की फोटो कापी, खतौनी की नकल एवं बचत खाते की पासबुक की मुख्य पृष्ठ की फोटो कापी जिस पर आपका नाम, पता, खाता संख्या व आई.एफ.एस.सी. कोड अंकित हो, को लेखपाल की टीम को उनके गाँव भ्रमण के समय या तहसील पर ले जाकर देना होगा। इसके अंतर्गत किसान से एक घोषणा पत्र भराया जायेगा जिस पर हस्ताक्षर होंगे तथा तहसील पर सुरक्षित रखा जायेगा।

योजना के अंतर्गत अपात्र कृषकों की श्रेणी

योजनान्तर्गत निम्न श्रेणी के कृषकों को अपात्रता की श्रेणी में रखा गया है।

- किसी भी संवैधानिक पदों के पूर्व या वर्तमान धारक।
- केंद्र सरकार या राज्य सरकार अथवा केंद्र व राज्य सरकार के अधीन अर्ध सरकारी संस्था अथवा किसी स्वायत्त संस्थान के सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी अथवा समूह घ के कार्मिकों को छोड़कर)। ऐसे कर्मचारी या दैनिक वेतन भोगी जो नियमित वेतन नहीं पाते हैं, वे लोग पात्र होंगे जैसे शिक्षा मित्र, रोजगार सेवक व अन्य संविदा कर्मी।
- लोकसभा या राज्य सभा या राज्य विधान सभाओं या राज्य विधान परिषदों के पूर्व या वर्तमान सदस्य।
- नगर निगम के पूर्व या वर्तमान महापौर या जिला पंचायतों के अध्यक्ष।
- पिछले निर्धारण वर्ष के आयकर दाता।
- सभी सेवानिवृत पेंशन भोगी जो अपनी मासिक पेंशन के रूप में 10,000 रुपये या उससे अधिक प्राप्त करते हैं (समूह घ/चतुर्थ श्रेणी सेवानिवृत पेंशनर्स को छोड़कर)।
- पेशेवर जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर अथवा ऐसे व्यक्ति जो पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत हैं।
- योजना का लाभ किसी भी संस्था / संस्थान की भूमि पर देय नहीं है।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना की विशेषताएँ

- पीएम किसान एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है।
- पीएम किसान योजना को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, जो भारत सरकार के अधीन है।
- पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सभी भूमि धारक किसान परिवारों को आय सहायता के रूप में 2000 रुपये प्रति किस्त को तीन समान किस्तों में वितरित किया जाता है।
- हालांकि पहले पीएम किसान योजना को केवल 2 हेक्टेयर तक के किसान परिवारों के लिए लागू किया गया था, बाद में इसे हटा दिया गया और भूमि के आकार की गणना किए बिना ही राशि दी जा रही है।
- पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता है।
- पीएम किसान योजना के तहत परिवार की परिभाषा पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे हैं।
- विभिन्न राज्यों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों की पहचान संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा जारी योजनाओं के दिशा निर्देशों के अनुसार की जाती है।
- किसान, पीएम किसान सरकारी पोर्टल पर या सामान्य सेवा केंद्र के माध्यम से अपना पंजीकरण कर सकते हैं।
- इस योजना के तहत, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए है, जहाँ भूमि स्वामित्व अधिकार उनके समुदाय पर आधारित है, और झारखंड राज्य के लिए भी जहां कोई अपडेटेड भूमि रिकार्ड नहीं है।
- पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किए जाते हैं। इन कार्ड की सहायता से किसान समय पर राशि के पुर्नभुगतान पर बैंक से अधिकतम 4% ब्याज दर पर अल्पावधि ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

पीएम किसान एप

- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने पीएम किसान मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया है।
- इसे पीएम किसान योजना की पहली वर्षगांठ पर लॉन्च किया गया था।
- इस ऐप का उपयोग करके किसान अपने आवेदनों की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं, तथा अपने आधार कार्ड में सुधार पर बदलाव कर सकते हैं, और वे अपने बैंक खाते के लेन-देन के इतिहास की जाँच कर सकते हैं।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

पीएम किसान सम्मान योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक बेवसाइट पर जाना होगा। इसके बाद Farmers Corner में रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करें, क्लिक करते ही आपका किसान रजिस्ट्रेशन / ऑप्शन आयेगा और आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। नए पेज पर फॉर्म भरना होगा, शहरी क्षेत्रों के लिए शहरी किसान पंजीकरण के लिए विकल्प चुनें, फिर दिए गए डेटा पर क्लिक करें, जिसमें आपका मोबाइल फोन नंबर, आपका आधार नंबर और OTP दर्ज करना होगा, अब पीएम किसान पंजीकरण ऑनलाइन पर जाएंI अपने मोबाइल पर अपना OTP प्राप्त होने के बाद रजिस्ट्रेशन करें और आगे प्रोसेस करें। एक नए पेज पर, सभी आवश्यक जानकारी भरें और सबमिट बटन पर क्लिक करने से पहले दस्तावेज अपलोड करें। अब आपका पीएम किसान 2024 के लिए पंजीकरण फार्म जमा हो जाएगा।

पति-पत्नी में से किसे मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ- पीएम किसान सम्मान निधि के नियमों के मुताबिक, इस योजना का फ़ायदा परिवार के सिर्फ एक सदस्य को ही मिलता हैI यानी पति-पत्नी में से किसी एक को ही स्कीम का लाभ मिलेगा। जिसके नाम कृषि जमीन की रजिस्ट्री हैं।

पीएम किसान की अगली क़िस्त का स्टेटस कैसे चेक करें?

- आगामी किस्त चेक करने के लिए पीएम किसान के ऑफिशल पोर्टल को ओपन करें। पीएम किसान 18 वीं किस्त का स्टेटस आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर आधार नंबर, बैंक खाता नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करके देख सकते है।
- पोर्टल ओपन करने के बाद इसके होम पेज में जाएं।
- इसके बाद आप बेनिफिशियरी स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अब न्यू पेज ओपन होगा जिसमें आप दिखाई दे रहे हैं दो ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करें।
- आपको मांगे जाने वाला आवश्यक विवरण दर्ज करना है।
- उसके बाद दिखाई दे रहे कैप्चा कोड को दर्ज करें।
- अब आपको सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
- इसके पश्चात आपके सामने 18वीं किस्त का सम्पूर्ण विवरण आ जाएगा।
- अब आप विवरण को चेक करके संबंधित किस्त की जानकारी चेक कर सकते हैं।

ई-केवाईसी की आवश्यकता

योजना का लाभ उठाने के लिए, पंजीकृत किसानों को अपना ई-केवाईसी (इलेक्ट्रॉनिक-नो योर कस्टमर) पूरा करना अनिवार्य है। यह प्रक्रिया किसानों की पहचान सत्यापित करने और धोखाधड़ी को रोकने में मदद करती है। ई-केवाईसी न करने वाले किसानों की किस्त रोकी जा सकती है। इसलिए, सभी पात्र किसानों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द अपना ई-केवाईसी पूरा कर लें।

ई-केवाईसी कैसे करें

ई-केवाईसी करने के लिए किसान निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते हैं:

1. पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
2. 'ई-केवाईसी' विकल्प पर क्लिक करें।
3. अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
4. ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) की पुष्टि करें।
5. आवश्यक जानकारी भरें और दस्तावेज अपलोड करें।
6. प्रक्रिया पूरी करने के लिए 'सबमिट' पर क्लिक करें।

पीएम किसान लाभार्थी सूची में नाम कैसे जांचें?

- सबसे पहले पीएम किसान के अधिकारिक पोर्टल पर जाए।
- पीएम किसान पोर्टल के Farmers Corner सेक्शन में जाए।
- इसके बाद Beneficiary Status के बटन को क्लिक करें।
- आधार नंबर, मोबाइल नंबर या बैंक खाता की जानकारी दर्ज करें।

- अगले स्टेप में Get data बटन पर क्लिक करें।
- आपका विवरण आपके सामने स्क्रीन पर होगा।

पीएम किसान की किस्त रुक जाने के कारण व निवारण

- पीएम किसान के ई- केवाईसी प्रक्रिया अत्यंत आवश्यक है यदि प्रक्रिया पूरी नहीं तो किस्त नहीं आयेगी।
- बैंक खाता आधार से लिंक होना तथा खाते में डी बी टी आप्शन होना जरुरी है।
- भूमि का सत्यापन भी आवश्यक है यदि किसान के भूमि का सत्यापन राजस्व विभाग द्वारा नहीं कराया गया है तो भी किस्त नहीं जाएगी।
- यदि किस्त रुक जाती है तो पीएम किसान के टोल फ्री हेल्प लाइन नंबर 011-23381092 पर बात कर सकते हैं या ई मेल आई डी pmkisan-ict@gov.in पर मेल करके अपनी समस्याओं का निराकरण करा सकते हैं।

चुनौतियां और सुधार की संभावना

हालांकि पीएम किसान योजना बहुत सफल रही है, फिर भी कुछ चुनौतियां और कमियां परिलक्षित होती हैं जिसे दूर करके और प्रभावी बना सकते हैं।

1. **पात्रता की जांच:** इस योजना में केवल कुछ मामलों में, अपात्र व्यक्तियों को भी लाभ मिल जाता है। इसे रोकने के लिए और अधिक कड़ी जांच की आवश्यकता है।

2. **जागरूकता की कमी:** कई किसान अभी भी इस योजना के बारे में जानकारी के अभाव में इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।

3. **तकनीकी समस्याएं:** कभी-कभी तकनीकी समस्याओं के कारण किस्तों में देरी हो जाती है।

4. **बैंकिंग सुविधाओं की कमी:** दूरदराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं की कमी के कारण कुछ किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

योजना को पारदर्शी और जनोपयोगी बनाने हेतु कुछ सुझाव

1. भूमिहीन खेतिहर, मजदूर और कास्तकार किसान इस योजना में शामिल नहीं है। इन्हें भी इस योजना में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग भी खेती का कार्य करते हैं, खर्च करते हैं और जोखिम भी उठाते हैं ।
2. कई बार देखा जाता है कि योजना की राशि किसान अपने कृषि कार्यों में न व्यय करते हुए कहीं और करते हैं। इससे योजना के मूलभूत सिद्धांत प्रभावित होता है, यदि निधि की राशि को किसानों द्वारा प्रस्तुत बिल (बीज, खाद, दवा आदि) के आधार पर दिया जाय तो इसका सही इस्तेमाल हो सकेगा।
3. अगली फसल बुवाई की तैयारी के समय ही राशि किसानों को अंतरित की जानी चाहिए अन्यथा देर की स्थिति में इस राशि को किसी दूसरे प्रयोजन में लगाये जाने की संभावना प्रबल होगी।
4. पात्र व्यक्ति को ही इसका लाभ मिलना चाहिए, अपात्र व्यक्तियों की पहचान करके बाहर निकालना चाहिए।
5. पंजीकरण प्रक्रिया और भी आसान बनानी चाहिए जिससे अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें।
6. इस योजना के बारे में किसानों के बीच में जागरूकता लाना अत्यंत आवश्यक है, इसमें कृषि विभाग, केवीके व अन्य प्रसार संस्थाएं सहयोग प्रदान कर सकती हैं।

अंत में यह कह सकते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही पीएम किसान सम्मान निधि योजना से देश के लघु एवं सीमान्त किसानों को नियमित आय का स्रोत मिला है, जिससे वो न केवल अपने कृषि निवेशों (बीज, खाद, दवाएं, सिंचाई आदि) की समय से व्यवस्था कर पा रहे हैं बल्कि साहूकारों के छोटे मोटे कर्ज से मुक्त हो गए हैं। इससे किसान परिवार के जीवन स्तर में सुधार आया है, तकनीकी खेती और विविधीकरण से खेती में आमदनी भी बढ़ रही है।

*****